न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्याः 17/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/17)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. गुरबचन सिंह पुत्र सतवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर जरिए मुखत्यारेआम सतपाल कौर पत्नी सतवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर।	1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर। 2. जसवन्त सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 3. सुखचैन सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 4. जगतार सिंह पुत्र तेगा सिंह जाति जटसिख निवासी 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 5. बलदेव सिंह पुत्र तेगा सिंह जाति जटसिख निवासी 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 6. सुखदर्शन सिंह पुत्र तेगा सिंह जाति जटसिख निवासी 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 7. लखविन्द्र सिंह पुत्र तेगा सिंह जाति जटसिख निवासी 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 8. मनजिन्द्रपाल सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 12.02.2024

उपस्थितः1. श्री मनीष जागिंड, श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण
2. श्री प्रेम कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2,3,6

——निर्णय—— दिनांकः22.07.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 10 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 42/44 के मुरब्बा नम्बर 11, 47, 48, 51, 59/51 की कुल 2.784 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 57/28 के मुरब्बा नम्बर 16, 20, 22, 40, 59/25, 59/28, 59/45 की कुल 8.563 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। राजस्व अभिलेख में वादी अन्य खातेदारान के साथ संयुक्त दर्ज है और उसका आज तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। वादी का उक्त रकबा संयुक्त खाता में अंकित होने के कारण वादी को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी खाता विभाजन हेतु वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। वादी ने आज से दो रोज पूर्व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का हिस्सानुसार किलावाईज विभाजन करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 10 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 42/44 के मुरब्बा नम्बर 11, 47, 48, 51, 59/51 की कुल 2.784 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 57/28 के मुरब्बा नम्बर 16, 20, 22, 40, 59/25, 59/28, 59/45 की कुल 8.563 हैक्टेयर में से वादीगण के कब्जाकाश्त अनुसार अन्य सहखातेदारान से विधिवत जोत विभाजन करवाकर खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2,3,6 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार उपस्थित आए व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। वादी अधिवक्ता के द्वारा काउन्टर क्लेम पर अनापत्ति जाहिर की। प्रतिवादी संख्या 4, 5, 7, 8 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4, 5, 7, 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। प्रतिवादी संख्या 2,3,6 को वादी का वादपत्र स्वीकार है। वादी को प्रतिवादी संख्या 2, 3, 6 का काउन्टर क्लेम स्वीकार है। इसलिए

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3, 6 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3, 6 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3, 6 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि चक 10 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 42/44 के मुरब्बा नम्बर 11, 47, 48, 51, 59/51 की कुल 2.784 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 57/28 के मुरब्बा नम्बर 16, 20, 22, 40, 59/25, 59/28, 59/45 की कुल 8.563 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी गुरबचन सिंह (0.759 हैक्टेयर) व प्रतिवादी संख्या 2 जसवन्त सिंह(1.392), प्रतिवादी संख्या 3 सुखचैन सिंह(1.392), प्रतिवादी संख्या 6 सुखदर्शन सिंह(0.117) के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एवं रहन बदस्तूर रहें**। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान उभयपक्ष अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 2,3,6 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

-ःआदेशः-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है चक 10 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 42/44 के मुरब्बा नम्बर 11, 47, 48, 51, 59/51 की कुल 2.784 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 57/28 के मुरब्बा नम्बर 16, 20, 22, 40, 59/25, 59/28, 59/45 की कुल 8.563 हैक्टेयर भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3, 6 के हिस्से की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	गुरबचन सिंह पुत्र सतवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर (0.759 हैक्टेयर)	10 डब्ल्यू	40 11 	17/3 23/3 24/1 16 25	0.032 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर 0.094 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर	नहरी बारानी बारानी नहरी नहरी	0.28 0.55 0.41 2.25 2.25
2	जसवन्त सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। (1.392 हैक्टेयर) सुखचैन सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। (1.392 हैक्टेयर)	10 डब्ल्यू	40 11 47 48 51	16/2 17/2 24/2 25 15 3 4,5 22, 23 3	0.063 हैक्टेयर 0.031 हैक्टेयर 0.159 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.506 हैक्टेयर 0.506 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर	नहरी नहरी बारानी बारानी नहरी नहरी बारानी नहरी नहरी	0.56 0.28 0.69 1.10 2.25 2.25 2.20 4.50 2.03

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

			59/51	4 5	0.228 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.076 हैक्टेयर	नहरी नहरी गै.मु.खा.	2.03 2.03 0.00
3	सुखदर्शन सिंह पुत्र तेगा सिंह जाति जटसिख निवासी 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। (0.117 हैक्टेयर)	10 डब्ल्यू	16 59/25	1	0.092 हैक्टेयर 0.025 हैक्टेयर	नहरी गै.मु.खा.	0.81 0.00

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीवद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)